न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 15/2020
पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

1 लादू पिता सूरजमल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

————(प्रार्थी)

बनाम

1 कैलाश पिता गौरीशंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2 तेजु पिता कल्याण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
3 रामदेव पिता बन्ना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
श्री लालाराम गुर्जर––– अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय दिनांक – 22.12.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 10.02.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 250 के **आ.न. 385, 390 किता 2 रकबा 0.55 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पड़ौसी/सहखातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 01 की और से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 01 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है श्रीमान सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा के वाद संख्या 62/99 की पालना हेतु ईजराय प्रस्तुत की हुई है। प्रार्थी न्यायालय के आदेश के उपरान्त वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी कराना चाहता है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। शेष विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत एकपक्षीय बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा **भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 250 के आ.न. 385, 390 किता 2 रकबा 0.55 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान किये जाने के *(सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा के वाद संख्या 62/99 में पारित आदेश 24.02.2001 की पालना करते हुए)* आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति मे पत्थरगढ़ी नही की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा